52

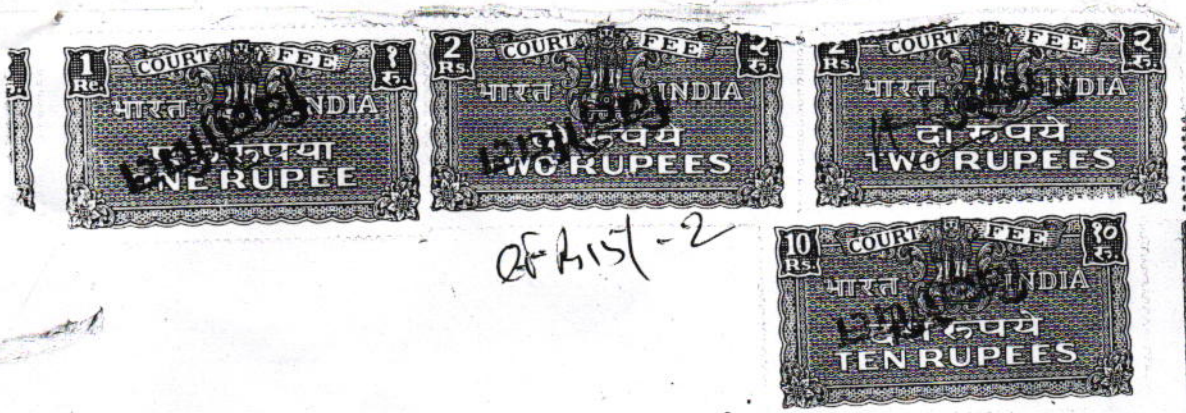

COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2004 निगरानी - R - 62 - IV / 2004

वासुदेव प्रसाद शर्मा पुत्र श्री वंशी, जाति ब्राह्मण,
निवासी ग्राम कुल्होली, तेहसील सबलगढ़,
जिला मुरैना (म०प्र०) ।

------- आवेदक

14 JAN 2004

बिरुध्द

1- बैकुण्ठी पत्नी लक्ष्मीनारायण,
निवासी ग्राम अलापुर, तेहसील जौरा ।

2- कमला पत्नी बाबूलाल,
निवासी ग्राम नेपरी, तेहसील कैलारस,
जिला मुरैना ।

3- विमला पत्नी अंतरा,
निवासी नये पैट्रोल पम्प के पास, सबलगढ़,
जिला मुरैना (म०प्र०) (समस्त जाति ब्राह्मण) ।

-------- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता बिरुध्द आदेश दिनांकी 25-9-2003- न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना (म०प्र०), प्रकरण क्रमांक 184/2001-2002 अपील ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1- यह कि, अनावेदकगण के पिता श्री बद्री प्रसाद पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कुल्होली, तेहसील सबलगढ़ जिला-मुरैना व्दारा एक वाद क्रमांक 34-ए/1968 इ०दी० न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश, सबलगढ़, जिला मुरैना (म०प्र०) के समक्ष प्रस्तुत कर

क्रमशः ---2

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण कमांक 62–चार/2004 निगरानी जिला मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-9-16	यह निगरानी अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 184/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनॉक 25–9–2003 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम कुल्हाड़ी के भूमिस्वामी बद्रीप्रसाद की मृत्यु पर वारिसान हक पर नायव तहसीलदार सवलगढ़ ने प्रकरण कमांक 18/2000–01 अ–6 में पारित आदेश दिनांक 22–8–2001 से अनावेदकगण का नामान्तरण किया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, सवलगढ़ के समक्ष अपील कमांक 3/2001–02 प्रस्तुत की। अपील में सुनवाई के दौरान अनावेदकगण ने संहिता की धारा 32 सपठित 111 के अंतर्गत आपत्ति प्रस्तुत की कि वादोक्त भूमियों के सम्बन्ध में व्यवहार न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है जिसके कारण राजस्व न्यायालय में कार्यवाही नहीं चल सकती। दूसरा आवेदन व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 3/2001–02 अपील में आदेश दिनॉक 30–4–2002 पारित किया तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 184/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनॉक 25–9–2003 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह अपील की गई हैं। 3/ आवेदक की ओर से श्री ए.के.अग्रवाल अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अनावेदकगण को बार–बार सूचना पत्र भेजे जाने के वाद सम्यक सूचना निर्वहन न होने सें पंजीकृत	

डाक से भी सूचना भेजी गई, किन्तु वह अनुपस्थित रहे हैं, जिसके कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से प्रकरण में विचार यह किया जाना है कि अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के अपील प्रकरण कमांक 3/2001-02 में अनावेदकगण द्वारा सुनवाई के दौरान म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 सपठित 111 के अंतर्गत प्रस्तुत आपत्ति एंव व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत प्रस्तुत दूसरी आपत्ति पर से आदेश दिनांक 30-4-02 से अपील प्रकरण निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि की है ? प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वादोक्त भूमि के सम्बन्ध में जब व्यवहार न्यायालय में दीवानी प्रचलित है तब उसी प्रकार की समानान्तर कार्यवाही राजस्व न्यायालय में नहीं की जा सकती है क्योंकि पक्षकार एक ही न्यायालय में न्याय प्राप्ति की अर्जी लगा सकता है। चूँकि व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है एंव माननीय व्यवहार न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में वादोक्त भूमि के सम्बन्ध में जो भी आदेश होंगे, राजस्व न्यायालय तद्नुसार अमल हेतु बाध्य है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 30-4-02 से अपील निरस्त करने में त्रृटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 184/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनॉक 25-9-2003 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 184/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनॉक 25-9-2003 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य